[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Excise and Customs)

Notification
No. 46/ 2017-Customs (N.T.)

New Delhi, the 11th May, 2017

S.O. (E). -In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments in the Notification No. 129/2013-Customs (N.T.) dated 11.12.2013 published in the official Gazette of India vide S.O. 3627 (E) dated 11.12.2013.

In the said notification, in the opening paragraph for the words "the Additional Commissioner of Customs (Preventive), New Custom House, Ballard Estate, Mumbai", the words, "the Additional/Joint Commissioner of Customs (Preventive), New Custom House, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi" shall be substituted.

IndiaCode

F.No.437/50/2013-Cus IV]

(Z.R.Kamili)
Director (Customs)

Note.- The principal notification was issued vide Notification No. 129/2013-Customs (N.T.) dated 11.12.2013 and published in the official Gazette of India vide S.O. 3627 (E) dated 11.12.2013

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥, खण्ड-3, उपखण्ड)ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 46/2017(.टे.गै) सीमा शुल्क-

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

का(अ) .आ., सीमा शुल्क, 1962 (1962 का 52(की धारा की उपधारा 4)1) की उपधारा 5 और धारा (1के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, अधिसूचना सं .129/2013(.टे.गै) सीमा शुल्क -, दिनांक 11.12. .आ.जिसे का 20133627 (अ), दिनांक 11.12.के तहत भारत के 2013 सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा -:

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में ''अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाऊस, बालार्ड इस्टेट, मुम्बई'', शब्दों के स्थान पर ''अपरसंयुक्त आयुक्त/, सीमा शुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाऊस, निकट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नई दिल्ली'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा .सं.437/50/2013 सीमा शुल्क-IV]

(कामिली .आर.जेड)

निदेशक (सीमा शुल्क(

नोट .प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं : 129/2013- सीमा शुल्क (.टे.गै), दिनांक 11.12.2013, का .आ.2627 (अ), दिनांक 11.12.के तहत भारत के सरकारी 2013 राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

IndiaCode

IndiaCode